प्रेषक,

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 26 अक्टूबर, 2016**

विषय- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-00-800-0203-कृषि विकास की योजनायें के अन्तर्गत मानक मद-27-सब्सिडी की धनराशि रू0 212303 हजार की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या-551/12-3- 2016-100(25)/2010, दिनांक 05.05.2016 के क्रम में अपने पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./268/लेखा-03/2016-17, दिनांक 19.7.2016, पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./298-लेखा -03/2016-17, दिनांक 31.8.2016, पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./447-लेखा-03/2016-17, दिनांक 14.9.2016 एवं पत्रांक-रा.कृ.वि.यो./549-लेखा-03/2016-17, दिनांक 13.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Integrated Cereal Development Programme-Wheat योजना हेतु शासनादेश संख्या-551/12-3 -2016-100(25)/2010, दिनांक 05.05.2016 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 212303 हजार में से निम्नलिखित संस्थाओं को उनके सम्मुख अंकित धनराशि का भुगतान, आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से करने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(रू0 हजार में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	भुगतान की जाने वाली धनराशि
1	कृषि विभाग	48359.71
2	सहकारिता विभाग	44187.40
3	यू0पी0स्टेट एग्रो	15623.06
5	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	15812.86
6	एन0एस0सी0	13404.07
	योग	137387.10

(रू0 तेरह करोड़ तिहत्तर लाख सत्तासी हजार एक सौ मात्र)

3- उक्त शासनादेश दिनांक 05.05.2016 में उल्लिखित प्राविधान एवं शर्तें उक्त सीमा तक संशोधित समझी जाएगी तथा शेष प्राविधान एवं शर्तें यथावत बने रहेंगें।

भवदीय,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

सं0-86/2016/1416(1)/12-3-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4- संयुक्त सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5- अवर सचिव (आर.के.वी.वाई.) भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6- निदेशक, आर के. वी. वाई., भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, (आर.के.वी.वाई. सेल) कृषि भवन, नई दिल्ली।
7- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10- सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
11- नोडल अधिकारी, आर.के.वी.वाई., कृषि भवन, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in